समाचार–प्रकाशनार्थ :–

15 स्थानों पर होगा आज कौविशिल्ड के प्रथम डोज का टीकाकरण

2 स्थानों पर होगा कौविशिल्ड के दुसरे डोज का टीकाकरण

रतलाम 18 जुलाई। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 19 जुलाई सोमवार को 19 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर स्लॉट बुकिंग कराने वाले नागरिकों को कौविशिल्ड के प्रथम डोज तथा 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौविशिल्ड के दूसरे डोज का टीकाकरण प्रातः 9 बजे से निःशुल्क किया जायेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्लॉट बुकिंग कराने वाले नागरिकों व 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी नागरिक जिनको कौविशिल्ड का पहला टीका लगाकर 84 दिन पूर्ण हो चुके ऐसे नागरिकों से अपील की है प्रथम डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर व दुसरे डोज हेतु अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर कौविशिल्ड का पहला व दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाये।

कौविशिल्ड के प्रथम डोज हेतु रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, मार्निंग स्टार स्कूल इन्द्रलोक नगर, सांई ऐकेडमी 80 फीट रोड, सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, सरस्वती स्कूल काटजू नगर, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, काश्यप सभागृह सागोद रोड, जमातखाना शैरानीपुरा, मोहन टॉकिज, उजाला पैलेस स्टेशन रोड, लायंस हॉल पावर हाउस रोड, मेंहदीकुई बालाजी, कालिका माता धर्मशाला, माहेश्वरी भवन कसारा बाजार तथा कौविशिल्ड के दुसरे डोज हेतु कम्यूनिटी हॉल अलकापुरी व डीआरएम ऑफिस दो बत्ती पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

श्याम कबाड़ी पर 15000 का जुर्माना

रतलाम 18 जुलाई । दिलीप नगर क्षेत्र में श्याम कबाड़ी द्वारा गंदगी व अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने संबंधित पर 15000 का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर शिविरों का आयोजन

अब तक 3405 आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 18 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर की उचित मूल्य की दुकानों पर 14 जुलाई बुधवार को 199, 15 जुलाई को 236, 16 जुलाई को 204, 17 जुलाई को 8, 18 जुलाई को 215 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व

वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 3405 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 18 जुलाई को 49 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 18 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 18 जुलाई रविवार को 49 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

18 जुलाई रविवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 19785, काम्पेक्टर सूखा कचरा 17765, काम्पेक्टर गीला कचरा 11105 व मैजिक 440 किलो इस तरह कुल 49095 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम विभाग में संपर्क करें

रतलाम 18 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/– का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 18 जुलाई। **कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें

अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 जुलाई **। स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 18.07.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.